# नरहरिनाथ गाउँपालिकाको
# आर्थिक ऐन २०७५

**प्रस्तावना:**

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न बाञ्छनिय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम नरहरिनाथ गाउँसभा (२०७५।३।१४) ले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यस ऐनको नाम **आर्थिक ऐन २०७५** रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०७५।०४।०१ देखि नरहरिनाथ गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. **सम्पति कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (१) बमोजिम एकीकृत सम्पत्ति कर घरजग्गा कर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।

३. **भूमि कर (मालपोत):** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (२) बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

४. **घर जग्गा बहाल कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिइएकोमा अनुसुची ३ बमोजिम घर जग्गा, बहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।

५. **व्यवसाय कर वा दर्ता शुल्क:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय कर र घुम्ति व्यापारी कर वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूची (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

६. **जडिवुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले उन, खोटो, जडिवुटी, वनकस, कवाडी प्रचलित माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूची (५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

७. **सवारी साधन कर:** गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइनेछ र उक्त कर सम्वन्धित प्रदेशले असुल गरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोजिम स्थानीय तहको विभाज्य कोष मार्फत गाउँपालिका सञ्चित कोषमा बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ ।

८. **विज्ञापन कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकुत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

९. **मनोरञ्जन कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकुत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१०. **बहाल बिटौरी शुल्क:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेको अनुसूची (९)मा उल्लेख भए अनुसार हाटबजार वा पसलमा सोही अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल विटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

११. **पार्किङ शुल्क:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ उपलव्ध गराए बापत अनुसूची (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

१२. **ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोइङ, बन्जी जम्पिङ, जिपफ्लायर, र्‍याफ्टीङ शुल्क:** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोइङ, बन्जी जम्पिङ, जिपफ्लायर, र्‍याफ्टीङ सेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवापत अनुसूची (११) बमोजिम शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१३. **सेवा शुल्क र दस्तुर:** गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूचि (१२) मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलव्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१४. **पर्यटन शुल्क:** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसूची (१३) मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

१५. **कर छुट:** यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनैपनि किसिमको कर छुट दिइनेछैन ।

१६. **कर तथा संकलन सम्बन्धी कार्यविधि:** यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

## अनुसूची-१
(दफा २ संग सम्वन्धित)

### गाउँपालिकाले लगाउने एकीकृत सम्पति कर

| सि.नं. | करयोग्य एकीकृत सम्पतिको मूल्य | बार्षिक करको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | पाँचलाख रुपैया सम्मको मूल्याङ्कनमा | एकमुष्ठ रु ५०।- | |
| २ | पचास लाख रुपैयाँ सम्मको | प्रतिलाख रु १०।- | |
| ३ | पचास लाख एक रुपैँया देखि एक करोड रुपैयाँ सम्मको | प्रतिलाख रु २०।- | |
| ४ | एक करोड एक रुपैयाँ देखि दुइ करोड रुपैयाँ सम्मको | प्रतिलाख रु २५।- | |
| ५ | दूइ करोड एक रुपैँया देखि पाँच करोड रुपैयाँ सम्मको | प्रतिलाख रु ५०।- | |
| ६ | पाँच करोड भन्दा माथि | प्रतिलाख रु ५०।- | |

## अनुसूची-२
(दफा ३ संग सम्बन्धित)

### गाउँपालिकाले लगाउने भूमीकर (मालपोत)

| क्र.सं. | जग्गाको प्रकार | करको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| | - | - | |

## अनुसूची-३
(दफा ४ संग सम्बन्धित)

### गाउँपालिकाले लगाउने घरबहाल कर

| क्र.सं. | घरको प्रकार | करको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| | - | - | |

## अनुसूची-४
(दफा ५ संग सम्बन्धित)

### गाउँपालिकाले लगाउने व्यवसाय दर्ता शुल्क

क) व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण शुल्क

| क्र.सं. | व्यवसायको प्रकार | दर्ता शुल्क | नवीकरण शुल्क |
|---|---|---|---|
| १ | चिया नास्ता पसल | रु. २००।- | रु. १००।- |
| २ | खाना खाजा होटल | रु. ५००।- | रु.२५०।- |
| ३ | खाद्य किराना पसल | रु. ५००।- | रु.२५०।- |
| ४ | काँचो कपडा पसल | रु. ८००।- | रु.४००।- |
| ५ | फेन्सि पसल | रु. ६००।- | रु. ३००।- |
| ६ | हार्डवेयर पसल | रु. १०००।- | रु.५००।- |
| ७ | भाँडा पसल | रु. ८००।- | रु.४००।- |
| ८ | औषधि पसल | रु. १०००।- | रु. ५००।- |
| ९ | एग्रोभेट पसल | रु. ५००।- | रु.२५०।- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १० | पशुपालन फर्म दर्ता | रु. १०००।- | रु.५००।- |
| ११ | राँगा भैंसी खरिद विक्री प्रति जनावर | रु. १००।- | |
| १२ | मदिरा पसल | रु. ३०००।- | रु.१५००।- |
| १३ | कुखुरा पालन व्यवसाय | रु. ५००।- | रु. २५०।- |
| १४ | सुनचाँदी पसल | रु. १०००।- | रु. ५००।- |
| १५ | इलेक्ट्रोनिक पसल | रु. १०००।- | रु. ५००।- |
| १६ | घुम्ति व्यापारी (कपडा) प्रति महिना | रु. ५००।- | |
| १७ | घुम्ति व्यापारी (भाँडा) प्रति महिना | रु. १०००।- | |
| १८ | अन्य | रु. ३००।- | |

ख) घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता तथा नवीकरण शुल्क

| क.स. | व्यवसाय, उद्योगको नाम | दर्ता शुल्क | नवीकरण शुल्क |
|---|---|---|---|
| १ | फर्निचर उद्योग | रु. १०००।- | रु. ५००।- |
| २ | पानी घट्ट | रु. १००।- | रु. ५०।- |
| ३ | सप्लार्यस | रु. २०००।- | रु.१०००।- |
| ४ | इन्स्टिच्यूट | रु. १०००।- | रु. ५००।- |
| ५ | अन्य | रु. ५००।- | रु. २५०।- |

## अनुसूची-५
(दफा ६ संग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले लगाउने जडिबुटी, कवाडी, घुम्ति व्यापारी र जीवजन्तु कर

| क.स. | करको प्रकार | करको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | चरिचरन (प्रति जिव जन्तु प्रतिदिन) गा.पा भन्दा वाहिरका लागि मात्र मान्य हनेछ। | रु. ५।- | |
| २ | बालुवा (प्रतिकट्ठा) | रु. ३।- | |
| ३ | सतुवा, वनलुसुन, च्याउ (प्रति केजी) | रु. १५०।- | |
| ४ | पदमचाल्नु, सुगन्धवाल, र अन्य (प्रति केजी) | रु. १०।- | |

## अनुसूची-६
(दफा ७ संग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले लगाउने सवारी साधन कर

| क.सं. | सवारी साधनको प्रकार | करको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| | - | - | - |

## अनुसूची -७
(दफा ८ संग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले लगाउने विज्ञापन कर

| क.सं. | विज्ञापनको प्रकार | करको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| | - | - | - |

अनुसुची -८
(दफा ९ संग सम्बन्धित)
गाउँपालिकाले लगाउने मनोरञ्जन कर

| क.सं. | मनोरञ्जनको प्रकार | करको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| | - | - | - |

अनुसूची - ९
(दफा १० संग सम्बन्धित)
गाउँपालिकाले लगाउने बहाल विटौरी शुल्क

| क.सं. | बहाल विटौरीको प्रकार | करको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| | - | - | - |

अनुसूची १०
(दफा ११ संग सम्बन्धित)
गाउँपालिकाले लगाउने पार्किङ शूल्क

| क.सं. | सवारी साधनको प्रकार | पार्किङ शूल्कको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| | - | - | - |

अनुसूची-११
(दफा ११ गि सम्बन्धित)
गाउँपालिकाले लगाउने ट्रेकिङ, कायाकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्‍याफ्टीङ शुल्क

| क.सं. | ट्रेकिङ, कायाकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग जिपफ्लायर र र्‍याफ्टीङ प्रकार | शुल्कको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| | - | - | - |

अनुसूची -१२
(दफा १३ संग सम्बन्धित)
गाउँपालिकाले लगाउने सेवा शुल्क, दस्तुर

| क.सं. | सेवाको प्रकार | शुल्क, दस्तुरको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | आन्तरिक सिफारिस दस्तुर | रु. ५०।- | |
| २ | सम्पति मूल्यांकन सिफारिस (प्रति हजार) | रु. ०.८०।- | |
| ३ | वाह्य सिफारिस दस्तुर | रु. १००।- | |
| ४ | म्याद नाघी आएका पञ्जिकरण दस्तुर | रु. १००।- | |
| ५ | प्रतिलिपि पञ्जिकरण दस्तुर | रु. २१०।- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ६ | योजनाको भुक्तानी सिफारिस दस्तुर (प्रति लाख) | रु. २००।- | |
| ७ | थप कक्षा दस्तुर<br>क) आधारभूत विद्यालय<br>ख) माध्यमिक विद्यालय | <br>रु. १०००।-<br>रु. १५००।- | |
| ८ | नियूक्ति समर्थन (विद्यालय)<br>क) आधारभूत तह<br>ख) माध्यामिक तह | <br>रु. ७००।-<br>रु. १०००।- | |
| ९ | परीक्षा दस्तुर<br>क) राजपत्राङ्कित श्रेणीको लागी<br>प्रत्येक समावेशी समुहको लागी थप<br>ख) राजपत्र अनङ्कित श्रेणीको लागि<br>प्रत्येक समावेशी समुहको लागि थप दस्तुर | <br>रु. १०००।-<br>रु. २००।-<br>रु. ५००।-<br>रु. १५०।- | |

## अनुसूची - १३
(दफा १४ संग सम्बन्धित)
### गाउँपालिकाले लगाउने पर्यटन शुल्क

| क्र.सं. | पर्यटकको प्रकार | शुल्कको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| | - | - | - |